जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) जी, हां। समिति ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि चुंगी को संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि–52 द्वारा संरक्षण प्राप्त है और इसे समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं है। समिति द्वारा अभिव्यक्त संवैधानिक उपबंधों को देखते हुये सरकार की ओर से और कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

व्यापारिक जहाजरानी कानूनों में संशोधन

2251. **श्री सोमपाल:**
श्री शारदा महन्ती :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौंतीस वर्ष पुराने व्यापारिक जहाजरानी कानूनों में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा संशोधन के प्रयोजन सहित इनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त संशोधनों को कब तक प्रभावी बनाये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। वाणिज्य नौवहन अधिनियम, 1958 में संशोधन करने का मुख्य कारण भारत द्वारा अनुसमर्पित अन्तर्राष्ट्रीय कंवेशनों, समझौतों और प्रोटोकोलों के विभिन्न प्रावधानों को लागू करना तथा नौवहन क्षेत्र के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं संबंधी उपायों को शामिल करना है। चूंकि यह प्रस्ताव अभी जांच के प्रारंभिक चरण में है इसलिये यह बता पाना संभव नहीं है कि ये संशोधन कब तक कर दिये जायेंगे।

मध्य प्रदेश को पर्यटक स्थलों के लिए सड़कों के निर्माण हेतु विशेष अनुदान

2262. **श्री राघवजी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थलों, पुरातत्व महत्व के स्थलों तथा अन्य रमणीय स्थलों को सुलभ बनाने के लिये सड़कों के निर्माण हेतु विशेष अनुदान की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से ऐसी सड़कों के निर्माण हेतु राज्य सरकार को अनुदान देने के लिये कोई नीति बनायेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़कों के लिये केन्द्र द्वारा सहायता प्रदत्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु पर्यटनपरक सड़क स्कीम के रूप में 42.84 करोड़ रुपये की लागत से 16 (सोलह) प्रस्ताव पेश किये हैं। आठवीं योजना की केन्द्रीय क्षेत्र में सड़कों के कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमित निधियों के आबंटन के कारण मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य में कोई नई परियोजना शुरू कर पाना इस समय संभव नहीं है।

Malayasian firm to build expressways in India

SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Malayasian firm has offered to build expressways in India with plans to invest upto